राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः— एफ. 1(7)(9)(01047)डीपीसी/सान्याअवि/2017 जयपुर, दिनांकः—यथा ई—हस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

वर्ष 2023—24 में गैर—अनुसूचित क्षेत्र में परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13.01.2025 में आयोजित की गई थी।

श्री युद्धवीर सिंह, छात्रावास अधीक्षक—I को सीसीए नियम—16 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक 1578 दिनांक 29.09.2022 विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति चयन सील कवर करने की समिति द्वारा अनुशंषा की गई।

विभागीय आदेश क्रमांक 806 दिनांक 06.06.2025 द्वारा भविष्य में सतर्कतापूर्वक कार्य करने की हिदायत देते हुए तथा श्री सिंह की निलंबित अवधि दिनांक 06.07.2022 से 15.11.2022 तक की अवधि को नियमित करते हुए निलंबन अवधि समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल माने जाने तथा निलंबनकाल के बकाया वेतन भत्ते (इस अवधि में दिए गए निर्वाह भत्ते को घटाते हुए) देते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है।

अतः विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13.01.2025 में की गई अनुशंषा के क्रम में चयन सील कवर खोलकर श्री युद्धवीर सिंह को वर्ष 2023—24 की रिक्तियों के विरूद्ध दि. 01.04.2023 से छात्रावास अधीक्षक—I (पे लेवल—10) से परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी (पे लेवल—11) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है।

श्री युद्धवीर सिंह वर्तमान में पदस्थापित स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण कर निदेशालय को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे तथा इनके पदस्थापन आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे। इनको पदोन्नति का वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण दिनांक से देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(केसरलाल मीणा)
अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)

क्रमांकः— एफ. 1(7)(9)(01047)डीपीसी/सान्याअवि/2017 जयपुर, दिनांकः—यथा ई—हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर ।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क—2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव/आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता विभाग/विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सत0 एवं प्रशा0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बारां ।
8. संस्थापन प्रशाखा (पी—1/2) मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) को ई—मेल/वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
9. श्री युद्धवीर सिंह, छात्रावास अधीक्षक—I द्वारा जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बारां ।
10. व्यक्तिगत पत्रावली श्री सिंह।
11. आदेश पत्रावली ।

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kesar Lal Meena
Designation : Additional Director
Date: 2025.07.02 17:10:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16285222